

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में खगड़िया जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | - | सदस्य |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. श्रीमती सरिता देवी | - | सदस्य |
| पति-श्री ईश्वरचन्द्र भगत,
मो0- बबुआगंज, वार्ड नं0-04,
जिला- खगड़िया। | | |
| 13. श्रीमती रिकु कुमारी, | - | सदस्य |
| पति-श्री दिपक कुमार,
ग्राम+पोस्ट+थाना- बेलदौर,
जिला- खगड़िया। | | |
| (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. श्री योगेन्द्र कुमार मेहता, | - | सदस्य |
| मेहता फाउन्डेशन,
जिला- खगड़िया। | | |
| 15. कुमार ज्ञान प्रकाश, | - | सदस्य |
| (युवा विकास संघ),
पे0-स्व0 नागेश्वर प्रसाद,
रामगंज, संसारपुर,
जिला- खगड़िया। | | |
| 16. श्री कौशल किशोर राय, | - | सदस्य |
| सर्वप्रिय खाही ग्रामो टोला समिति, | | |

कटघरा गोगरी जमालपुर,
जिला- खगड़िया।

17. श्रीमती रूपम कुमारी सिन्हा,
(ललित कोशी सेवा आश्रम),
पति- श्री राकेश कुमार,
ग्राम-फतेहपुर, पंचायत-रामपुर गोगरी,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

(ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि

18. श्री रोहित कुमार बमबम,
पिता-मसुदन यादव,
नया टोला बलुआही,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

19. श्री सत्यनारायण अग्रवाल,
पिता-स्व० माखन लाल अग्रवाल,
मेन रोड,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

20. प्रो० अर्जुन झा,
(अवकाश प्राप्त यूनिवर्सिटी प्रोफेसर)
चित्रगुप्त नगर,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

21. श्री पशुपति खैतान,
पित- स्व० मोहन लाल खैतान,
जमालपुर गोगरी,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

(च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति

22. श्री गिरीश कुमार,
पिता-स्व० रामशंकर प्रसाद,
चित्रगुप्त नगर,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

23. श्री अभय कुमार,
पिता-इन्द्र देव वर्मा,
टोला बलुआही,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

24. श्री बासुदेव प्र० विधाता,
सामाजिक कार्यकर्ता,
पिता-स्व० गोरख प्रसाद,
जयप्रकाश नगर,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

- (राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत)
25. श्रीमती रंभा देवी(से०नि०),
पति- श्री रामानन्द प्रसाद,
यशोदा नगर,
जिला- खगड़िया।

- सदस्य

(राष्ट्रपति शिक्षक सेवा पुरस्कार प्राप्त)

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

7055 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, खगड़िया से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7055 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।
ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7055 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- अधिक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)
अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।